

16.04.25

४१
पत्रावली पेश हुई। पैरोकार राज उपर। पैरोकार
राज को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया
गया। अग्रार्थी द्वारा बिना स्वीकृति कटे गये पैर की
पैन्टली शरीर जो वन विभाग द्वारा लगाई गई जरिये
चैक जमा करवा दी है। इस प्रकार में कार्यवाही इसी
स्तर पर निरस्त की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक
से लिखा जाकर सलग्न किया गया। पत्रावली बाढ़
तरीख तकमील होकर दायित्व दफ्तर है।

निर्णय लिखा जाकर लुले न्यायालय में
सुनाया गया।

16.04.25
(किरण पाल)
R.A.S.